रा.पु.मु.ज./5–99/70,000

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं.

1. जिला.चौकी भ्र0 नि0 ब्यूरो, धौलपुर.....थाना. प्र0आ0 केन्द्र,भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर... वर्ष ..2023.
   प्र. इ. रि. स. .....128/2023..... दिनांक .....24/5/2023.....
2. (अ) अधिनियम भ्र0 नि0 (संशोधित) अधिनियम **वर्ष** 2018 . .धारायें.....7.....
   (ब) अधिनियम .....आई.पी.सी.....धारायें.....
   (स) अधिनियम .....धारायें.....
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या .....475.....समय.....8:00Pm.....
   (ब) अपराध घटने का दिन--दि.--बुद्धवार /24.05.2023/12.00 पी.एम.....
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक–19.05.2023 समय.–12.15 पी.एम. .....
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :– कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा मुख्यालय भरतपुर।
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी –पश्चिम , दूरी करीब 100 किमी.....
   (ब) पता – .....बीट सख्या .....जरायमदेहीसं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो ...पुलिस थाना.....जिला.....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम **श्री भोजराज**
   (ब) पिता /पति का नाम श्री रणवीर सिंह जाति जाट .....(स) जन्म तिथि /वर्ष 32 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता.....भारतीय .....
   (य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....जारी होने की जगह.....
   (र) व्यवसाय..... ।
   (ल) पता....ग्राम –नगला तेरहिया पुलिस थाना उच्चैन जिला भरतपुर ।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1–श्री सुनील कुमार अग्रवाल पुत्र श्री प्रकाश चन्द जाति अग्रवाल उम्र 39 साल निवासी गिरीश कॉलोनी भरतपुर हाल अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा मुख्यालय भरतपुर ।

8-परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.....

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ....
   .....8,000/–रू0 रिश्वत राशि .....
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....
    .....8,000/–रू0 रिश्वत राशि .....
11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0) (यदि कोई हो तो) .....नहीं.....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).....

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर विषयः– रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाने बाबत महोदाय जी, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं भोजराज सिंह पुत्र स्व. श्री रणवीर सिंह जाति जाटा निवासी नगला तेरहिया पुलिस थाना उच्चैन उम्र 32 वर्ष का रहने वाला हूँ। मैं वर्तमान में तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल प्रथम के पद पर रा.उ.प्रा.वि. वरकौली खरैरा उच्चैन भरतपुर में पदस्थापित हूँ। मेरा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 में जिला उदयपुर में चयन हुआ था। जिस पर मैने उदयपुर जिले में 6 वर्ष 5 माह नौकरी की थी। वर्ष 2018 मे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती मे लेवल प्रथम पर मेरा चयन जिला भरतपुर में हो गया था। जिस पर मैने रा.उ.प्रा.वि. बरकौली खरैरा उच्चैन भरतपुर में 27 फरवरी 2019 को कार्य भारग्रहण किया। दिनांक 26.08.2022 को श्री रामेश्वर दयाल जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक भरतपुर द्वारा आदेश जारी कर मेरा स्थायीकरण दिनांक 17.09.2015 से मानते हुए नियमित वेतन देय एवं नियमानुसार नियमित वेतन वृद्वि बा लाभ दिये जाने हेतु आदेश जारी किये गये थे। लेकिन श्री रामेश्वर दयाल जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक भरतपुर द्वारा दिनांक 10.05.2023 को पुनह एक आदेश जारी करते हुए मेरा

भरतपुर मे कार्य ग्रहण करने की तिथि के पश्चात् ही वास्तिविक नोशनल लाभ उपार्जित, व परिवर्तित अवकास अर्जित करने का लाभ दिये जाने के आदेश जारी किये गये है। जिससे मेरा एरियर विल पारित नही हो रहा है। मेरे स्थाईकरण के कराने आदेश को लागू करवाने एवं संशोधित आदेश निकलवाने की एवज में ए.डी.ई.ई.ओ. मुख्ययालय भरतपुर श्री सुनील अग्रवाल एवं संस्थापन बाबू श्री अजय गुप्ता मेरे से आठ हजार रूपये रिश्वत राशि मांग रहे है। मैं उन्हे रिश्वत राशि नही देना चाहता हूँ। तथा उन्हे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत रंजिश नही है और ना ही कोई पुराना लेन–देन बकाया है। मै यह कार्यवाही धौलपुर एसीबी चौकी से करवाना चाहता हूँ। एस.डी. भोजराज पुत्र स्व. श्री रणवीर सिंह जाति जाट निवासी नगला तेरहिया पुलिस थाना उच्चैन जिला भरतपुर मो. नं. 8104854603 दिनांक 19.05.2023 एसडी धीरज सिंह दिनांक 24.05.2023 एसडी कौशल किशोर दि. 24.05.23, एस. डी. सुरेन्द्र सिंह पुलिस उप अधीक्षक दि. 23.05.2023 एसडी राजकुमार

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 19.05.2023 को वक्त 12.15 पी.एम. पर परिवादी श्री भोजराज पुत्र श्री रणवीर सिंह जाति जाट उम्र 32 वर्ष निवासी नगला तेरहिया पुलिस थाना उच्चैन जिला भरतपुर ने पूर्व से तय शुद्वा स्थान नेहरू पार्क भरतपुर में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट मय अपने आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति सहित श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर के नाम संबोधित की हुई श्री राजकुमार कनिष्ठ सहायक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर को पेश की परिवादी की लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर रिपोर्ट में अंकित तथ्यों बाबत परिवादी श्री भोजराज से पूछताछ की गई तो परिवादी श्री भोजराज ने रिपोर्ट स्वयं के द्वारा लिखी हुई होना बताया व अंकित तथ्य सही होना तथा रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया परिवादी ने मजीद दरियाफ्त पर बताया कि सुनील अग्रवाल ए.डी.ई.ई.ओ. व श्री अजय गुप्ता संस्थापन बाबू जिला भरतपुर से इस संबंध में बात की तो मेरे वेतन वृद्वि इत्यादि का संशोधित आदेश जारी करने की एवज में मुझसे 8,000 रूपये अथवा उतनी ही रकम की कुर्सी देने के रूप में रिश्वत की मांग की है। प्रार्थी रिश्वत नही देना चाहता है एवं उक्त कार्मिको को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता है। परिवादी ने उक्त कार्मिको से कोई पुराना लेन–देन अथवा कोई रजिश नहीं होना बताया है। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं की गई दरियाफ्त आदि से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत की मांग का है चूँकि चौकी इन्चार्ज श्री सुरेन्द्र सिंह पुलिस उप अधीक्षक राजकार्य से जयपुर गये हुए हैं जिन्हें उपरोक्त लिखित रिपोर्ट बाबत जरिये दूरभाष अवगत कराया जिस पर श्रीमान द्वारा लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर नियमानुसार विभागीय वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर परिवादी के हमराह श्री ब्रह्मदेव सिंह कानि. 449 को आरोपीगण के पास भेजकर रिश्वत राशि की मांग का गोपनीय सत्यापन कराकर सत्यापन कार्यवाही से अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये जिसका श्रीमान के निर्देशानुसार गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। अतः रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा परिवादी श्री भोजराज को गोपनीयता बनाये रखने की बाद हिदायत दी गई। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर श्री ब्रह्मदेव सिंह कानिस्टेबल को पूर्व से ही सुपुर्द किया हुआ है जिसकी फर्द सुपुर्दगी पूर्व से तैयार है जिसे बाद अवलोकन शामिल रंनिग नोट की गई। परिवादी श्री भोजराज व कानिस्टेबल ब्रह्मदेव सिंह को वास्ते रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना किया गया समय 06.00 पी.एम पर श्री ब्रह्मदेव सिह कानिस्टेबल मय परिवादी श्री भोजराज के मय विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के पूर्व से तय शुद्वा स्थान बजरिया रोड़ रेलवे स्टेशन भरतपुर उपस्थित आया जिसने विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि परिवादी की आरोपीगण से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हुई है इस पर परिवादी से भी पूछा तो परिवादी ने बताया कि मेरी ए.डी.ई.ई.ओ. श्री सुनील अग्रवाल व संस्थापन बाबू अजय गुप्ता से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हुई है जिन्होने मेरे से रिश्वत के रूप में आठ हजार रूपये अथवा उतनी ही रकम की कुर्सी खरीद कर देने की मांग की है फर्द सुपुर्दगी वापसी विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर तैयार की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल रनिंग नोट की गई। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के संबंध में श्री सुरेन्द्र सिह उप अधीक्षक पुलिस प्रभारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर को जरिये टेलीफोन अवगत कराया गया जिन्होने निर्देश फरमावे कि विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को सुरक्षित रखा जावे व परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रूखस्त किया जावे। **दिनांकः–23.05.**

2023/06.10 पीएम. इस समय मन पुलिस उप अधीक्षक सुरेन्द्र सिंह उपस्थित सर्किट हाउस भरतपुर आने पर श्री राजकुमार कनिष्ठ सहायक द्वारा परिवादी श्री भोजराज की लिखित रिपोर्ट तथा उसके साथ पेश कार्यवाही पुलिस, फर्दात तथा विभागीय वाईस रिकार्डर (जो ब्रह्मदेव सिंह कानि. 449 द्वारा सुरक्षित रखा विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर जिसमें रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है) को हमराह परिवादी भोजराज के अग्रिम कार्यवाही हेतु मुझे सुपुर्द किये गये। जिस पर मैने परिवादी भोजराज की लिखित रिपोर्ट एवं अन्य कागजात, फर्दात आदि का अवलोकन किया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो परिवादी भोजराज ने पूर्व में दर्ज कराये गये हालातो की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी सुनील अग्रवाल ए.डी.ई.ई.ओ. व अजय गुप्ता संस्थापन बाबू को पकड़वाने के लिए मैने दिनांक 19.05.2023 को आपके अधीनस्थ कार्यरत श्री राजकुमार कनिष्ठ सहायक को पूर्व से तय शुद्वा स्थान नेहरू पार्क भरतपुर मे शिकायत दी थी व जिस पर मुझे एसीबी धौलपुर के कानिस्टेबल श्री ब्रह्मदेव सिंह के साथ आरोपी श्री सुनील अग्रवाल ए.डी.ई.ई.ओ. व अजय गुप्ता संस्थापन बाबू के पास भेजकर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन कराया था। मेरी बात आरोपीगण से हो गई है आरोपीगण ने वेतन वृद्वि इत्यादि के संशोधित आदेश जारी करने की एवज में 8000 रूपये अथवा उतनी रकम की कुर्सी देने के रूप में रिश्वत की मांग की है। इसके बाद विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को लैपटॉप कम्प्यूटर की मदद से चालू कर हैड़ फोन की मदद से सुना गया तो परिवादी के कथनों मुताबिक वार्ता रिकार्ड होना पाई गई व वार्ता में परिवादी के कथनो की पुष्टि होना पाया गया जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार की गई। समय **06.30 पी.एम. –पर** वाईस रिकार्डर को लैपटॉप कम्प्यूटर में कनेक्ट किया जाकर वाईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को विभागीय लैपटॉप कम्प्यूटर के हैड फोन से कनेक्ट किया जाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को परिवादी व गवाहान श्री राजकुमार कनिष्ठ सहायक व श्री मनोज कुमार कानि. 179 की उपस्थिति में हैड़ फोन की मदद से सुना जाकर परिवादी से पूछ–पूछ कर आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई तथा उक्त वार्ता की मूल पैन ड्राईव न्यायालय हेतु व तीन डीबीडीयां क्रमश– दो मुलजिम प्रति एवं एक आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर मूल पैन ड्राईव व दो मुलजिम डीबीडीयों को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त कर कब्जा एसीबी लिया जाकर उन पर मार्क A अंकित किया श्री रविन्द्र हैड़ कानि. 28 मुख्य आरक्षक मालखाना प्रभारी के सुपुर्द कर जमा मालखाना किये जाने हेतु हिदायत की गई तथा आईओ प्रति डीवीडी को कपडे की थैली में रखवाकर सिलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं अन्य कागजातों एवं रिश्वत मांग सत्यापन तैयार फर्द ट्रासकिप्ट से श्री सुनील अग्रवाल ए.डी.ई.ई.ओ. व अजय गुप्ता संस्थापन बाबू के द्वारा परिवादी के वेतन वृद्वि इत्यादि के संशोधित आदेश जारी करने की एवज में 8000 रूपये अथवा उतनी रकम की कुर्सी देने के रूप में रिश्वत की मांग की है आरोपीगण श्री सुनील अग्रवाल ए.डी.ई.ई.ओ. व अन्य द्वारा परिवादी से उसके जायज पेडिंग काम वेतन वृद्वि इत्यादि के संशोधित आदेश जारी करने की एवज में रिश्वत के रूप में 8000 रूपये अथवा उतनी रकम की कुर्सी देने की मांग करना धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 व 120बी भादंसं के तहत दण्डनीय अपराध होने से नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की गई। **समय 08.00 पी.एम.:पर** परिवादी श्री भोजराज ने बताया कि मैं आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वत राशि कल लेकर उपस्थित आ जाऊगा। अतः परिवादी को रिश्वत का इन्तजाम कर कल सर्किट हाउस भरतपुर उपस्थित होने एवं कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रूख्सत किया गया। **दिनांक 24.05.2023/08.15 ए.एम.: पर** परिवादी श्री भोजराज उपस्थित सर्किट हाउस भरतपुर आया जिसने बताया कि मैने रिश्वत में दी जाने वाली राशि 8,000/–रूपये का इन्तजाम कर लिया है जो अभी मेरे पास है। अतः

परिवादी को हिदायत कर सर्किट हाउस भरतपुर के कमरा नं. 112 में ही बिठाया गया। समय 09.30 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह तलबी बाबत श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग भरतपुर के नाम तहरीर जारी कर श्री मनोज कुमार कानि. 179 को स्वतन्त्र गवाह लेकर आने हेतु कार्यालय सावर्जनिक निर्माण विभाग भरतपुर मय तहरीर रवाना किया गया। समय 10.00 ए.एम.: पर श्री मनोज कुमार कानि. 179 कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग भरतपुर से दो गवाह साथ लेकर उपस्थित सर्किट हाउस भरतपुर आया। दोनो गवाहान से उनके नाम पते पूछे तो उन्होने क्रमशः अपने नाम धीरज सिंह पुत्र श्री धूजी सिह जाति जाट उम्र 36 साल निवासी ग्राम व पोस्ट हतीजर पुलिस थाना वैर जिला भरतपुर हाल कनिष्ठ अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उप खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग सेवर जिला भरतपुर एवं श्री कौशल किशोर पुत्र श्री प्रवीन कुमार जाति गुर्जर उम्र 27 साल निवासी ग्राम व पोस्ट कमलपुरा पुलिस थाना भुसावर जिला भरतपुर हाल कनिष्ठ अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड द्वितीय जिला भरतपुर बताये, जिनसे गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने बाबत सहमति चाही तो उक्त दोनो स्वतन्त्र गवाहान ने अपनी सहमति दी, तत्पश्चात दोनो गवाहो का उपस्थित परिवादी भोजराज को बुलाकर आपस में एक दूसरे से परिचय करवाया गया तथा दोनो गवाहों को परिवादी भोजराज द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट दिनांक 19.05.2023 का अवलोकन कराया जाकर पढाया गया तथा परिवादी से वार्ता कराई गई तथा परिवादी की लिखित रिपोर्ट पर दोनो गवाहों के हस्ताक्षर दिनांक सहित अंकित किये गये। समय **11.00 ए.एम. पर** दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री धीरज सिंह कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री कौशल किशोर कनिष्ठ अभियन्ता के सामने परिवादी श्री भोजराज पुत्र स्व0 श्री रणवीर सिंह जाति जाट उम्र 32 वर्ष निवासी नगला तेरहिया पुलिस थाना उच्चैन जिला भरतपुर ने आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वती राशि 500–500 रूपये के 16 भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल 8,000/–(आठ हजार) रूप ये अपने पास से निकालकर मन पुलिस उप अधीक्षक को पेश कि ये जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

कमसंख्या	नोटो का विवरण	नोटो के नम्बर
1	एक नोट 500 रूपये का	3 CB 307684
2	एक नोट 500 रूपये का	8QS 168174
3	एक नोट 500 रूपये का	2 MC 233129
4	एक नोट 500 रूपये का	2 MC 233130
5	एक नोट 500 रूपये का	0 FK 071218
6	एक नोट 500 रूपये का	2 SK 386183
7	एक नोट 500 रूपये का	1 EP 812838
8	एक नोट 500 रूपये का	2 SC 395880
9	एक नोट 500 रूपये का	6 CM 092354
10	एक नोट 500 रूपये का	9LW 516337
11	एक नोट 500 रूपये का	6 BK 580144
12	एक नोट 500 रूपये का	7FE 580449
13	एक नोट 500 रूपये का	5 TE 166408

14	एक नोट 500 रूपये का	6 QL 440120
15	एक नोट 500 रूपये का	1ED 639405
16	एक नोट 500 रूपये का	3QK463013

उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल–बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तो स्वतन्त्र गवाहान ने नोटों के नम्बरों का मिलान सहीं होना बताया। तत्पश्चात श्री मनोज कुमार कानि. नं. 179 से ट्रेप बॉक्स से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकाला कर आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वती राशि 500–500 रूपये के 16 भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल 8,000/–(आठः हजार) रूपये के नोटों पर श्री मनोज कुमार कानि. से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली–भांति लगवाया गया। परिवादी श्री भोजराज की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री धीरज सिंह कनिष्ठ अभियन्ता से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 8,000/–रूपये के नोटों को श्री मनोज कुमार कानि. 179 से सीधे ही परिवादी द्वारा पहने हुए पेंट की दाहिनी तरफ की साईड की जेब में रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपीगण द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपीगण रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखते है इसका पूरा ध्यान रखे तथा अपने सिर पर हाथ फेरकर/मोबाईल से फोन कर रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। परिवादी को आरोपीगण से अभिवादन के दौरान हाथ नही मिलाने की भी हिदायत की गई। इसके बाद गवाह श्री धीरज सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता से एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें ट्रेप बॉक्स में रखी शीशी में से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री मनोज कुमार कानि. 179 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिकिया का प्रयोगिक दृष्टान्त दोनों गवाहान व परिवादी भोजराज को समझाया गया तथा गिलास के धोवन को सर्किट हाउस के कमरा 112 के बाथरूम में फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया श्री मनोज कुमार कानि. के दोनों हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन एवं प्रयोग में लिये गये कॉच के गिलास को श्री मनोज कुमार कानि. से सर्किट हाउस के कमरा 112 की अलमारी मे रखवाया जाकर लॉक किया गया। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन पुलिस उप अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर को वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत की गई। इस समस्त कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिव की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल फाईल की गई। **समय 11.30 ए.एमः–पर** समस्त पार्टी के हाथ सावुन पानी से साफ कराने एवं परिवादी को रिश्वत स्वीकृति इशारे के बारे में अवगत कराने के बाद श्री रविन्द्र कुमार हैड़ कानि. 28 को मय परिवादी श्री भोजराज के हमराह निजी वाहन से आगे–आगे रवाना कर उनके पीछे –पीछे मन पुलिस उप अधीक्षक मय श्री राजकुमार कनिष्ठ सहायक, दोनो स्वतन्त्र गवाहान के मय ट्रेप बॉक्स, विभागीय लेपटॉप मय

प्रिन्टर के जरिये सरकारी वाहन मय चालक सरमन के सर्किट हाउस भरतपुर से वास्ते ट्रेप कार्यवाही कार्यालय डी.ई.ई.ओ भरतपुर रवाना हुआ। श्री योगेश सिंह कानि. 88 श्री ब्रहम्मदेव सिंह कानि. 449 को निजी वाहनो से रवाना किया गया नोटो पर पाउडर लगाने वाले श्री मनोज कुमार कानि. 179 को बाद हिदायत सर्किट हाउस भरतपुर में छोडा गया। **समय 11.50 ए. एमः–पर** मन पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, परिवादी एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा सरकारी व निजी वाहन से कार्यालय डी.ई.ई.ओ. भरतपुर के पास पहुंचा और वाहनों को आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने के नियत स्थान से कुछ दूरी पर रोड की साईड में अन्य खडे हुए वाहनों के पास खडा करवाया गया तथा परिवादी भोजराज को आरोपी के बताये स्थान पर रवाना किया व उसके पीछे–पीछे श्री रविन्द्र कुमार हैड़ कानि. 28 मय स्वंतत्र गवाहन श्री धीरज सिहं कनिष्ठ अभियन्ता व श्री कौशल किशोर को रवाना कर मन पुलिस उप अधीक्षक मय शेष टीम परिवादी की लोकेशन के आस–पास अपने आप को छुपाते हुए खडे होकर परिवादी के नियत इशारे का इन्तजार किया। **समय 12.00 पी. एम. पर** दोनो स्वतन्त्र गवाहान के सामने मन उप अधीक्षक पुलिस सुरेन्द्र सिंह को परिवादी श्री भोजराज के नियत इशारे की सूचना प्राप्त होने पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के कार्यालय डी.ई.ई.ओ. भरतपुर पहुंचा जहां परिवादी भोजराज उपस्थित मिला जिससे पूर्व में सुपुर्दशुदा वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द किया जाकर सुरक्षित रखा। परिवादी श्री भोजराज ने एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही श्री सुनील कुमार अग्रवाल ए.डी.ई.ई.ओ. है और उसने मेरे से रिश्वत के 8,000/–रूपये लेकर अपने दोनो हाथों से गिनकर पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रख लिये हैं। इस पर पास खडे व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सुनील कुमार अग्रवाल पुत्र श्री प्रकाश चन्द जाति अग्रवाल उम्र 39 साल निवासी गिरीश कॉलोनी भरतपुर हाल अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा मुख्यालय भरतपुर होना बताया जिसे मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के स्वंय का परिचय देते हुऐ सुनील अग्रवाल को डिटेन किया जाकर यथास्थिति में रहने की हिदायत कर परिवादी से ली गई रिश्वती राशि 8,000/–रूपये के सम्बन्ध में पूछा तो उक्त सुनील अग्रवाल ने अपने दोनो हाथों को आपस में रगडने लगा इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार सुनील कुमार अग्रवाल का बायां हाथ श्री रविन्द्र हैड़ कानि. 28 एवं दाहिना हाथ श्री राजकुमार कनिष्ठ सहायक कलाईयों के ऊपर से पकड लिये सुनील कुमार अग्रवाल द्वारा परिवादी श्री भोजराज से प्राप्त की गई रिश्वत राशि के संबंध में पूछा तो उसने उक्त राशि कार्यालय में कुर्सीयो के लिए ली गई है परिवादी के पेडिंग कार्य के बारे में आरोपी से पूछा तो उसने बताया कि दिनांक 10.05.2023 को परिवादी श्री भोजराज तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल–प्रथम का जो संशोधित आदेश निकाला था उसमे अंकित किये गये नोट में त्रुटि थी जिसको सही किया जाकर संशोधित आदेश निकाला जाना था। जिससे कि उसको पूर्ण नोशनल परिलाभ मिल सके उक्त संशोधित आदेश निकाले जाने के लिए भोजराज कार्यालय में कई बार आया था दिनांक 19.05.2023 को भी परिवादी श्री भोजराज कार्यालय में आया था जिससे मेरी व अजय गुप्ता बाबू से वार्ता हुई थी जिसमें मैने कार्यालय में चार–पॉच कुर्सीयो के लिए कुल साढे सात आठ हजार रूपये का खर्चा बताया था। उक्त रकम लेकर परिवादी श्री भोजराज को आज दिनांक 24.05.2023 बुद्धवार को कार्यालय में बुलाया था। श्री भोजराज आज कार्यालय में आकर मुझसे मिला था व मुझे आठ हजार रूपये दिये थे जो मैने गिनकर मेरी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रख लिये थे। उसके पश्चात् आप व आपकी टीम व स्वतन्त्र गवाहान के आने पर मेरी जेब से भोजराज द्वारा दी गई रकम आठ हजार रूपये पॉच–पॉच सौ के कुल 16 नोट बरामद हो गये। परिवादी भोजराज का संशोधित आदेश आज दिनांक तक जारी नही हुआ है उसका कार्य आज भी पेडिंग है। कार्यालय में कुर्सीयो के लिए रकम लेने की बात मैने डी.ई. ई.ओ. श्री रामेश्वर दयाल बंसल को नही बताई थी। उनके ज्ञान में यह बात थी या नही मैं नही बता सकता हूँ। इससे यह स्पष्ट है कि आरोपी सुनील कुमार अग्रवाल ए.डी.ई.ई.ओ. द्वारा परिवादी श्री भोजराज के वैध कार्य नोशनल परिलाभ दिये जाने के संशोधित आदेश जारी करने की एवज में लोकसेवक होते हुये वैध पारिश्रमिक के अलावा अन्य भारतीय मुद्रा की रिश्वत राशि

प्राप्त करना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध होने से अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप बॉक्स में से एक स्टील के कटोरे को निकलवाकर कार्यालय के बाहर रखी हुई पानी से भरी हुई प्लास्टिक की बाल्टी में से साफ पानी मंगवाकर स्टील के कटोरे को साफ पानी से अच्छी तरह साफ करवाकर साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर गवाह श्री धीरज सिह कनिष्ठ अभियन्ता से हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर स्टील के कटोरे के घोल में श्री सुनील अग्रवाल ए.डी.ई.ई.ओ. के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो पानी (धोवन) का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी संबंधितो को दिखाया तो सभी ने पानी का रंग गुलाबी होना बताया इस पर उक्त पानी (धोवन) को दो कांच की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क आर एच–1 व आर एच–2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। पुनः स्टील के कटोरे को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में श्री सुनील अग्रवाल ए.डी.ई.ई.ओ के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो पानी (धोवन) का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी संबंधितो को दिखाया तो पानी का रंग गुलाबी होना बताया इस पर उक्त पानी (धोवन) को दो काचं की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल एच–1 व एल एच–2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी सुनील अग्रवाल से रिश्वत राशि के सम्बन्ध में पूछा तो उसने बताया कि रिश्वत राशि 8000/–रूपये मेरी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखी हुई है। इस पर गवाह श्री धीरज सिह कनिष्ठ अभियन्ता से आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब से रिश्वत राशि को निकलवाकर गिनवाया तो भारतीय मुद्रा के पांच–पांच सौ रूपये के 16 नोट कुल 8,000 रूपये रिश्वती राशि पाये गये जिनका स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में सर्किट हाउस भरतपुर के कमरा नं. 112 में बनाई गई फर्द पेशकशी से उक्त नोटो का मिलान करवाया गया तो नोटों के नम्बर हुबहु होना पाये गये जिनका विवरण निम्न प्रकार पाया गया।

कम संख्या	नोटो का विवरण	नोटो के नम्बर
1	एक नोट 500 रूपये का	3 CB 307684
2	एक नोट 500 रूपये का	8QS 168174
3	एक नोट 500 रूपये का	2 MC 233129
4	एक नोट 500 रूपये का	2 MC 233130
5	एक नोट 500 रूपये का	0 FK 071218
6	एक नोट 500 रूपये का	2 SK 386183
7	एक नोट 500 रूपये का	1 EP 812838
8	एक नोट 500 रूपये का	2 SC 395880
9	एक नोट 500 रूपये का	6 CM 092354
10	एक नोट 500 रूपये का	9LW 516337
11	एक नोट 500 रूपये का	6 BK 580144

12	एक नोट 500 रूपये का	7FE 580449
13	एक नोट 500 रूपये का	5 TE 166408
14	एक नोट 500 रूपये का	6 QL 440120
15	एक नोट 500 रूपये का	1ED 639405
16	एक नोट 500 रूपये का	3QK463013

उक्त नोटों को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया एवं आरोपी सुनील अग्रवाल ए.डी.ई.ई.ओ. द्वारा पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई को उतरवाई जाकर अवलोकन किया गया तो पेन्ट हल्का सफेद है जिस पर FLU JNS-1992- का स्टीकर लगा हुआ है को ट्रेप बॉक्स में से स्टील का कटोरा निकलवा कर उसे साफ पानी से अच्छी तरह धुलवाकर उसमें साफ पानी डाल कर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार कर उसमें पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब को उलटवाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क पी–1 व पी–2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया व पेन्ट की जेब को सुखवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर भी सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क "पी" अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादी के कार्य से संबंधित पत्रावली कार्यालय मे पाई गई उक्त पत्रावलियों को परिवादी के पेडिंग कार्य को किये जाने हेतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक मुख्यालय भरतपुर में आवश्यकता होने के कारण उक्त पत्रावली की फोटोप्रति प्रमाणित प्राप्त की जाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी से पूर्व में सुपुर्दशुदा वाईस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण तैयार किया जावेगा। आरोपी सुनील कुमार अग्रवाल ए.डी.ई.ई.ओ. द्वारा परिवादी भोजराज के वैध कार्य को करने की एवज में लोकसेवक होते हुये वैध पारिश्रमिक के अलावा अन्य भारतीय मुद्रा की राशि 8,000/–रूपये अथवा उतनी ही रकम की कुर्सी लेने के लिए रिश्वत की मांग करना एवं परिवादी से 8,000/–रूपये रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत होना व मांग के अनुसरण में 8,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करना व उक्त रिश्वत राशि आरोपी सुनील अग्रवाल ए.डी.ई.ई.ओ से बरामद होने से आरोपी का उक्त कृत्य धारा 7 पीसी एक्ट (संशोधित) 2018 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। इस समस्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिव की जाकर नमूना सील फर्द पर अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द को शामिल पत्रावली किया गया। **समय–02.30 पी.एम. पर** स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी सुनील अग्रवाल पुत्र श्री प्रकाश चन्द जाति अग्रवाल उम्र 39 साल निवासी गिरीश कॉलोनी भरतपुर हाल अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा मुख्यालय भरतपुर को मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने पद व अधिकारों एवं समस्त कानूनी प्रावधानों से अवगत करवाते हुए परिवादी भोजराज के वैद्य कार्य को करने की एवज में 8,000/–रूपये रिश्वत की मांग करना व मांग के अनुसरण में आज दिनांक 24.05.2023 को रिश्वत राशि 8,000/–रूपय प्राप्त करना, उक्त कृत्य धारा 7, पीसी (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 का पाये जाने पर उक्त को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा गिरफ्तार किया गया

अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से परिवादी भोजराज से उसके नोशनल परिलाभ दिये जाने के संशोधित आदेश जारी करने की एवज में आरोपी श्री सुनील कुमार अग्रवाल पुत्र श्री प्रकाश चन्द अग्रवाल जाति अग्रवाल उम्र 39 साल निवासी गिरीश

कॉलोनी भरतपुर हाल अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा मुख्यालय भरतपुर द्वारा 8000/–रूपये रिश्वत राशि की मांग के अनुसरण में लोकसेवक सुनील कुमार अग्रवाल द्वारा 8,000 रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करना धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 के तहत दण्डनीय अपराध होने पर आरोपी श्री सुनील कुमार अग्रवाल पुत्र श्री प्रकाश चन्द अग्रवाल जाति अग्रवाल उम्र 39 साल निवासी गिरीश कॉलोनी भरतपुर हाल अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा मुख्यालय भरतपुर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर प्रेषित है। प्रकरण में श्री रामेश्वर दयाल बंसल जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक मुख्यालय भरतपुर श्री अजय कुमार गुप्ता वरिष्ठ सहायक एवं अन्य की भूमिका के बारे में विस्तृत अनुसंधान किया जाना आवश्यक है जो दौराने अनुसंधान किया जा सकेगा।

(सुरेन्द्र सिंह)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
धौलपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र सिंह, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुनील कुमार अग्रवाल पुत्र श्री प्रकाश चन्द, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा मुख्यालय भरतपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 128/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

24.5.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 968-71 दिनांक 24.05.2023
प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रटाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर।

24.5.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।